

U.P HOUSING & DEVELOPMENT BOARD
LIST OF VACANT RESIDENTIAL PROPERTIES OF MEERUT ZONE FOR E-AUCTION DATED 19-2-2026

Sr.No.	Auction ID	Zone Name	city	Yojna / Apartment name	Property No.	Property Type	Area of Property (Sqm.)	FAR	Reserve Price	Property Cost	Token Amount	Reservation Category	Rera Reg. No. if Applicable
1	58877	Meerut	MEERUT	Sch. No-11,(Jagriti Vihar-Ext.)	3/216	Plot	264.50	As per norms	72840	1,92,66,180	963309	Unreserved	N/A
2	58878	Meerut	MEERUT	Sch. No-11,(Jagriti Vihar-Ext.)	5/283	MIG	76.50	As per norms	5383137	53,83,137	269157	Unreserved	N/A
3	58879	Meerut	MEERUT	Sch. No-11,(Jagriti Vihar-Ext.)	3/131	Plot	300.65	As per norms	57150	1,71,82,148	859107	Unreserved (Employee of govt. services & Defence services who have completed age of 50 Years)	N/A
4	58880	Meerut	MEERUT	SCH. NO-10 (MADHAV PURAM)	2D-400/16	Plot	35.52	As per norms	22400	7,95,648	39782	Unreserved	N/A
5	58881	Meerut	MEERUT	SCH. NO-10 (MADHAV PURAM)	2D-400/17	Plot	31.75	As per norms	22400	7,11,200	35560	Unreserved	N/A
6	58882	Meerut	MEERUT	SCH. NO-10 (MADHAV PURAM)	2D-400/18	Plot	31.25	As per norms	22400	7,00,000	35000	Unreserved	N/A
7	58883	Meerut	MEERUT	SCH. NO-10 (MADHAV PURAM)	2D-400/19 (CORNER)	Plot	32.12	As per norms	24640	7,91,437	39572	Unreserved	N/A
8	58884	Meerut	Bulandshahr	Yojna-1	890	LIG	61.82	-	2262748	2262748	113137	General	N/A
9	58885	Meerut	Bulandshahr	Yojna-2	1/317 ©	Plot	430.05	-	27204	11699080	584954	General	N/A
10	58886	Meerut	MEERUT	Sch. No-11,(Jagriti Vihar-Ext.)	5/250	MIG	75.00	As per norms	5531815	5531815.00	276591	OTHER BACKWARD CLASS (Employee of govt. services & Defence services who have completed age of 50 Years)	N/A

1. क्रमांक 1 पर अंकित सम्पत्ति मा0 उच्च न्यायालय के रिट संख्या-18997/2020 के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

2. क्रमांक 2 पर अंकित सम्पत्ति मा0 उच्च न्यायालय के रिट संख्या-9351/2025 के अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

मा0 न्यायालय में विचारित प्रकरण तथा अन्य अपरिहार्य कारणों से प्रस्तावित सम्पत्तियों की संख्या घट-बढ़ सकती हैं।

आरक्षित श्रेणी की सम्पत्तियों हेतु आवेदकों द्वारा आरक्षण सम्बन्धी प्रमाण पत्र भी ई-नीलामी पोर्टल पर "Other Document" में अपलोड किया जाना होगा।

यदि किसी आवेदक द्वारा आरक्षित श्रेणी की सम्पत्ति के विरुद्ध बोली में प्रतिभाग किया जाता है और बाद में यह पाया जाता है कि सम्बन्धित बोलीदाता उस आरक्षण श्रेणी का नहीं है तो अपूर्ण/अवैध आवेदन मानते हुए समस्त टोकन धनराशि जब्त कर ली जाएगी, बाद में कोई दावा मान्य नहीं होगा।

ई-नीलामी में प्रस्तावित सम्पत्तियों का विवरण परिषद की वेबसाइट एवं ई-नीलामी पोर्टल उपलब्ध हैं। रera में पंजीकृत प्रोजेक्ट्स से सम्बन्धित सम्पत्तियों के सम्मुख रera पंजीकरण संख्या का उल्लेख किया गया है।

परिषद की समस्त प्रकार की सम्पत्तियां "जहां है जैसे है" के आधार पर निस्तारित की जाएंगी।

समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय भूखण्डों पर भौतिक कब्जा प्राप्त के 05 वर्ष के अन्दर मानचित्र स्वीकृत कराते हुए निर्माण कार्य पूर्ण करना होगा। समस्त निर्माण पूर्ण न किए जाने की दशा में नियमानुसार अनिर्माण शुल्क/समयवृद्धि शुल्क देय होगा।

परिषद की समस्त प्रकार की आवासीय/अनावासीय सम्पत्तियां परिषद की सम्पत्ति निस्तारण की विनियमावली-2016 में प्राविधानित व्यवस्था के अधीन निस्तारित की जाएंगी।

यदि किसी सम्पत्ति के विरुद्ध एकल बोली प्राप्त होती है तो मा0 परिषद की 268वीं बोर्ड बैठक के मद संख्या-268/20 पर अनुमोदित प्रस्ताव के अधीन निर्णय लिया जाएगा।